क्रम-संख्या–189

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 8 नवम्बर, 2024

कार्तिक 17, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस सेवाएं) अनुभाग–2

संख्या 1565/छः-पु0से0-2–2024
लखनऊ, 8 नवम्बर, 2024

अधिसूचना

सा0प0नि0–58

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 और पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) की धारा 2 के साथ पठित धारा 46 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के (खण्ड) ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों एवं आदेशों का अधिक्रमण और इस निमित्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल एतद्द्वारा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 (पुलिस बल प्रमुख) के पद पर उपयुक्त व्यक्ति के चयन और नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र तंत्र स्थापित करने, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त चयन, नियुक्ति और परिणामिक कार्यकाल राजनीतिक या कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त हो और उत्तर प्रदेश राज्य की विशिष्ट स्थितियों और पुलिसिंग आवश्यकताओं के अनुरूप भी हो की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैः–

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश (पुलिम बल प्रमुख) चयन एवं नियुक्ति नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली ''पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश (पुलिम बल प्रमुख) चयन एवं नियुक्ति नियमावली, 2024'' कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2–जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली मेंः–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(ख) ''भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत का संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक है या माना जाता है;

(ग) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(घ) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(ङ) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(च) ''नामनिर्देशन समिति'' का तात्पर्य नियम 4 के अधीन गठित समिति से है;

(छ) ''वेतन मैट्रिक्स'' का तात्पर्य भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 2016 की धारा 3 में यथाविनिर्दिष्ट वेतन मैट्रिक्स से है;

(ज) ''पैनल'' का तात्पर्य नामनिर्देशन समिति द्वारा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश (पुलिस बल प्रमुख) के पद पर चयन हेतु पात्र एवं अर्ह अधिकारियों के न्यूनतम तीन एवं अधिकतम पांच नामों के पैनल से है।

चयन और नियुक्ति के लिए प्रक्रिया

3—पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश (पुलिस बल प्रमुख) के पद पर चयन एवं नियुक्ति इस नियमावली के उपबंधों के अधीन की जाएगी।

नामनिर्देशन समिति का गठन

4—(क) राज्य सरकार एक नामनिर्देशन समिति का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे,—

(एक) उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश—अध्यक्ष

(दो) उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव— सदस्य

(तीन) संघ लोक सेवा आयोग का कोई नामनिर्देशिती—सदस्य

(चार) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या नामनिर्देशिती—सदस्य

(पाँच) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश—सदस्य—सचिव

(छः) सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक, जिन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य में पुलिस बल के प्रमुख के रूप में सेवा किया हो—सदस्य

(ख) नामनिर्देशन समिति नियम 5 के अधीन विचार क्षेत्र में आने वाले अधिकारियों में से, एक सूची तैयार करेगी जो नियम 8 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार होगी तथा नियम 6 में दिए गये मान दण्डों पर आधारित होगी।

न्यूनतम अर्हता

5—(क) उक्त में वह अधिकारी ही सम्मिलित होंगे जो वेतन मैट्रिक्स के लेवल 16 में राज्य संवर्ग में पुलिस महानिदेशक का पद धारण कर रहे हैं।

(ख) जहां लेवल 16 का कोई अधिकारी उत्तर प्रदेश राज्य में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश (पुलिस बल प्रमुख) के रूप में सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु विचार के लिए उपलब्ध नहीं है, या नामनिर्देशन समिति किसी भी अधिकारी को सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए उपयुक्त नहीं पाती है, वहां वेतन मैट्रिक्स के लेवल 15 में राज्य संवर्ग में अपर पुलिस महानिदेशक का पद धारण करने वाले और जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा में आवंटन वर्ष की पहली जनवरी से रिक्ति (जिसके लिए सूची तैयार किया गया है) के दिनांक से कम से कम 30 वर्ष की सेवा पूरी की हो, ऐसे समस्त अधिकारी सूची में सम्मिलित होंगे।

(ग) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश (पुलिस बल के प्रमुख) के पद पर रिक्ति होने की दिनांक से अधिकारी की सेवा अवधि 6 माह या उससे अधिक होनी चाहिए।

सूची में सम्मिलित करने के लिए चयन की रीति

6—(एक) चयन का आधार योग्यता एवं उपयुक्तता होगा।

(दो) सूची में सम्मिलित किए जाने वाले अधिकारियों की उपयुक्तता का विनिश्चय उनके सामान्यतः अच्छे रिकॉर्ड, अच्छी ख्याति और पुलिस बल का नेतृत्व करने के अनुभव के आधार पर किया जाएगा।

सूची का आकार

7—सूची में सम्मिलित अधिकारियों की संख्या न्यूनतम 3 (तीन) एवं अधिकतम 5 (पांच) होगी। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से सूची में 3 से कम अधिकारी सम्मिलित हो सकते हैं।

नामनिर्देशन समिति को प्रेषित किए जाने वाला प्रस्ताव

8—(1) उत्तर प्रदेश शासन का गृह विभाग, रिक्ति होने से 3 महीने पहले, सभी मामलों में पूर्ण प्रस्ताव, नामनिर्देशन समिति को प्रेषित करेगा। प्रस्ताव निम्नलिखित अभिलेखों के साथ प्रेषित किया जाएगाः—

(क) अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची जो विधिवत अधिसूचित हो;

(ख) पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले अधिकारियों की सूची। यदि ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित कुछ अधिकारी इस पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं हैं तो इसका कारण अवश्य बताया जाना चाहिए;

(ग) उपरोक्त सूची में सम्मिलित अधिकारियों का सेवा विवरण जिसमें उनके पूर्व में धारित पद, निभाएं गए कर्तव्यों की प्रकृति, शैक्षणिक और सेवाकाल की उपलब्धियां आदि दर्शायी गई हों;

(घ) अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही का ब्यौरा अधिकारियों को आरोप पत्र जारी करने का दिनांक/न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने का दिनांक और निलम्बन का ब्यौरा, यदि कोई हो;

(ङ) अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में प्रतिकूल टिप्पणियों के विवरण जो अभी तक संप्रेषित नहीं किए गए हैं/संप्रेषित किए जाने हैं और सम्बन्धित अधिकारी को इसके विरुद्ध अभ्यावेदन करने की समय सीमा अभी समाप्त नही हुयी है या अधिकारियों के अभ्यावेदन पर विनिश्चय लम्बित है;

(च) यदि अधिकारी पर उसके सेवाकाल में कोई शास्ति अधिरोपित हो तो उसका ब्यौरा विशिष्ट अवधि सहित;

(छ) पात्र अधिकारियों की पूर्ण और अद्यतन वार्षिक गोपनीय प्रवृष्टि फाइलें, यदि कोई हो, वार्षिक गोपनीय प्रवृष्टि की वर्षवार उपलब्धता दर्शाने वाला विवरण। अग्रतर, यदि कुछ वार्षिक गोपनीय प्रवृष्टि सक्षम प्राधिकारी द्वारा समीक्षित या अनुमोदित नही की जाती है, तो इसके लिए विधि मान्य कारण प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इस आशय का प्रमाण पत्र भी अभिलिखित किया जाना चाहिए और सम्बन्धित वार्षिक गोपनीय प्रवृष्टि फोल्डर में रखा जाना चाहिए;

(ज) न्यायालय के निर्देश, यदि कोई हो, जिनका पैनलीकरण पर प्रभाव हो;

(झ) गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 14/23/65–एआईएस (III) दिनांक 28.07.1996 द्वारा विहित तर्ज पर सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र;

(ञ) यदि कोई अधिकारी, जो संवर्ग में तैनात है या प्रतिनियुक्ति पर है, तो उसकी प्रतिलिपि संलग्न की जाएगी।

2–नामनिर्देशन समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया–

(क) नामनिर्देशन समिति न्यूनतम अर्हताधारी अधिकारियों की उपयुक्ता के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगी।

(ख) समिति निम्नलिखित कार्य करेगीः–

(एक) समिति की बैठक के दिनांक से पहले विगत 10 वर्षों के संदर्भ में अधिकारी की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि का मूल्यांकन;

समिति द्वारा विगत 10 वर्षों में सामान्यतया "बहुत अच्छा" के रूप में मूल्यांकन किए गये केवल अच्छी ख्याति के अधिकारियों पर पैनलीकरण हेतु विचार किया जाएगा।

(दो) समिति, उत्तर प्रदेश राज्य के समक्ष आ रही विशिष्ट चुनौतियों पर विचार करते हुए सूची में सम्मिलित करने के लिए अधिकारियों की उपयुक्तता का अवधारण करने के लिए अधिकारियों के जीवन–वृत्त में दर्शाए गए अनुभव जो कि पुलिस बल का नेतृत्व करने के लिए सुसंगत अनुभव (संचालन, रणनीतिक, नेतृत्व आदि) को भी ध्यान में रखेगी;

(तीन) समिति, अधिकारियों पर अधिरोपित शास्तियों पर भी विचार करेगी, यदि कोई हो, और ऐसे किसी अधिकारी को सूची से बाहर रखेगी जो निलंबित हो या जिसके विरुद्ध अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही लम्बित हो या जिसकी सत्यनिष्ठा प्रमाण–पत्र राज्य सरकार द्वारा रोक लिया गया हो या जो विगत पांच वर्षों के दौरान ''निंदा'' के अलावा किसी अन्य शास्ति के अध्यधीन रहा हो या पिछले तीन वर्षों के दौरान ''निंदा'' के शास्ति के अध्यधीन रहा हो।

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदन

9–यदि भारत सरकार के गृह मंत्रालय, सूची तैयार करने से पहले या पैनलीकरण समिति की बैठक (ईसीएम) के दौरान राज्य सरकार को लिखित रूप में सूचित करता है कि पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश (पुलिस बल प्रमुख) के पद पर नियुक्ति के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों को कार्यमुक्त करना संभव नहीं होगा तो नामनिर्देशन समिति के ऐसे अधिकारियों का मूल्यांकन नहीं करेगी।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश (पुलिस बल प्रमुख) की नियुक्ति

10–(1) राज्य सरकार, नामनिर्देशन समिति द्वारा सिफारिश किए गये अधिकारियों की सूची से पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश (पुलिस बल प्रमुख) की नियुक्ति करेगी। इस प्रकार नियुक्त पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश (पुलिस बल प्रमुख) सामान्य रूप से न्यूनतम दो वर्षों की अवधि के लिए (मा0 उच्चतम न्यायालय के नवीनतम अनुदेशों के अनुसार) अथवा साठ वर्ष की अधिवर्षता आयु तक, दोनों में से जो पहले पूर्व हो, पद धारित करेगाः

परन्तु यह कि राज्य सरकार, इस प्रकार नियुक्त पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश (पुलिस बल प्रमुख) को, दो वर्षों की अवधि पूरी होने से पहले, उसके कर्तव्यों से मुक्त कर सकेगी, यदि–

(क) अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के अधीन उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारंभ की गयी हो; या

(ख) किसी आपराधिक मामले में न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि या भ्रष्टाचार से जुड़े किसी मामले में न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध आरोप तय कर दिए गये हों; या

(ग) शारीरिक या मानसिक बीमारी के कारण व्युत्पन्न अक्षमता के कारण पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश (पुलिस बल प्रमुख) के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो गया हो;

(घ) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश (पुलिस बल प्रमुख) को दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि वह अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में विफल है, तो राज्य सरकार द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकेगा।

(2) यदि पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश (पुलिस बल प्रमुख) को उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन उसके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाता है और जब तक राज्य सरकार नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त नहीं कर देती है, तब तक राज्य सरकार पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश (पुलिस बल प्रमुख) के पद का अतिरिक्त प्रभार राज्य में पुलिस महानिदेशक के रैंक के किसी अधिकारी को दे सकेगी।

(3) यदि सूची में सम्मिलित किसी अधिकारी के विरुद्ध उसकी नियुक्ति से पूर्व विभागीय सतर्कता जांच प्रारम्भ की गयी है, तो उसे पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश (पुलिस बल प्रमुख) के पद पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जायेगा।

कठिनाई दूर करने की शक्ति

11—यदि इस नियमावली के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार किसी अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसा उपबंध कर सकेगी, जो इस नियमावली के उपबंधों से असंगत न हो, जो इस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

———————

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1565/Chh-pu-se-2–2024, dated November 8, 2024 :

No. 1565/Chh-pu-se-2–2024

Dated Lucknow, November 8, 2024

IN exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 46 *read* with Section 2 of the Police Act, 1861 (Act No. 5 of 1861) and Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act No. 10 of 1897) and in supersession of all existing rules and order on the subject and all other powers enabling him in this behalf, the Governor, with a view to establishing an independent machinery for the selection and appointment of a suitable person to the post of Selection and Appointment of Director General of Police, Uttar Pradesh (Head of the Police Force) so as to ensure that the said selection, appointment and the consequential tenure are free from political or executive interference and are also commensurate with the peculiar conditions and policing needs of the State of Uttar Pradesh, hereby makes the following rules:-

Selection and Appointment of Director General of Police, Uttar Pradesh (Head of the Police Force) Rules, 2024

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the "Selection and Appointment of Director General of Police, Uttar Pradesh (Head of the Police Force) Rules, 2024".

(2) They shall come into force from the date of their publication in the *Gazette*.

Definitions

2. In these rules, unless the context otherwise requires ,-

(a) **"Appointing Authority"** means the Governor of Uttar Pradesh;

(b**) "Citizen of India"** means a person who is or is deemed to be a citizen of India under part II of the Constitution of India;

(c) **"Constitution"** means the Constitution of India;

(d) **"Government"** means the Government of Uttar Pradesh;

(e) **"Governor"** means the Governor of Uttar Pradesh;

(f) **"Nomination Committee"** means the Committee constituted under rule 4;

(g) **"Pay Matrix"** means the Pay Matrix as specified in Section 3 of the Indian Police Service (Pay) Rules, 2016;

(h) **"Panel"** means a panel of a minimum of three and a maximum of five names of eligible and qualified officers for selection to the post of Director General of Police, Uttar Pradesh (Head of the Police Force) by the Nomination Committee.

Procedure for selection and appointment

3. The selection and appointment to the post of Director General of Police, Uttar Pradesh (Head of the Police Force) shall be made under the provisions of these Rules.

Constitution of Nomination Committee

4. (a) The State Government shall constitute a Nomination Committee consisting of, -

(i) A retired Judge of a High Court- Chairman

(ii) Chief Secretary of the Government of Uttar Pradesh- Member

(iii) A nominee of the Union Public Service Commission- Member

(iv) Chairman or nominee of the Uttar Pradesh Public Service Commission- Member

(v) Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Home Department, Uttar Pradesh–Member- Secretary

(vi) A retired Director General of Police who has served as the head of the Police Force in the State of Uttar Pradesh- Member.

(b) The Nomination Committee shall prepare a list from among the officers falling within the scope of consideration under rule 5, in accordance with the procedure laid down in rule 8 and based on the criteria laid down in rule 6.

Minimum Qualification

5. (a) The above shall include only those officers who are holding the post of Director General of Police in the State Cadre in the Level 16 of the Pay Matrix.

(b) Where no officer in Level 16 is available for consideration for inclusion in the list as Director General of Police, Uttar Pradesh (Head of the Police Force) in the State of Uttar Pradesh, or the Nomination Committee does not find any officer suitable for inclusion in the list, all officers holding the post of Additional Director General of Police in the State Cadre in the Level-15 of the Pay Matrix and who have rendered at least 30 years of service in the Indian Police Service from the 1st January of the allocation year to the date of the vacancy (for which the list is prepared).

(c) The officer should have a service period of six months or more on the date of occurrence of the vacancy in the post of Director General of Police, Uttar Pradesh (Head of the Police Force).

Method of selection for include in the list

6. (i) The basis of selection shall be merit and suitability.

(ii) The suitability of the officers to be included in the list shall be decided on the basis of their generally good record, good reputation and experience to lead the Police Force.

Size of List

7. The number of officers included in the list shall be a minimum of 3 (three) and a maximum of 5 (five). However, in exceptional circumstances, for reasons to be recorded in writing, less than 3 officers may be included in the list.

Proposal to be sent to the nomination committee

8. (1) The Home Department of the Government of Uttar Pradesh shall send the proposal, complete in all respects, to the Nomination Committee, three months before the occurrence of the vacancy. The proposal shall be accompanied by the following documents:-

(a) Seniority list of officers, duly notified;

(b) List of officers fulfilling the eligibility conditions. If some of the officers included in the seniority list are not included in the eligibility list, the reasons for the same must be stated;

(c) Service details of the officers included in the above list showing their previous posts held, nature of duties performed, academic and service achievements *etc.*;

(d) Details of disciplinary/criminal proceedings against the officers, date of issue of charge sheet to the officers/date of filing of charge sheet in the Court and details of suspension, if any;

(e) Statement of adverse remarks in the ACLs of the officers which have not yet been communicated/ are yet to be communicated and the time limit for making representation against the same to the concerned officer has not expired or the decision on the representation of the officers is pending;

(f) Details of any penalty imposed on the officer during his service period, with specific periods;

(g) Complete and updated Annual Confidential Entry files of eligible officers, if any, statement showing year wise availability of Annual Confidential Entry. Further, if some Annual Confidential Entry is not reviewed or approved by the competent authority, valid reasons for the same should be submitted. A certificate to this effect should also be recorded and kept in the respective Annual Confidential Entry folder;

(h) Court directions, if any, having a bearing on the empanelment;

(i) Integrity Certificate on the lines prescribed by Government of India, Ministry of Home Affairs letter No. 14/23/65-AIS (III), dated 28.07.1996;

(j) In case of any officer posted in the cadre or on deputation, a copy of the same shall be enclosed.

(2) Procedure to be followed by the Nomination Committee,-

(a) The Nomination Committee shall follow the prescribed procedure for objective evaluation of suitability of officers possessing the minimum qualifications;

(b) The Committee shall do the following:-

(i) Evaluation of the Annual Confidential Entry of the officer with reference to the last 10 years preceding the date of meeting of the Committee.

Only those officers of good standing who have been generally rated as "Very Good" by the Committee in the last 10 years shall be considered for empanelment;

(ii) The Committee will also take into account the experience reflected in the bio-data of the officers, that is, relevant experience for leading the police force (operational, strategic, leadership *etc*.) to determine the suitability of officers for inclusion in the list, considering the specific challenges faced by the State of Uttar Pradesh;

(iii) The Committee shall also consider the penalties imposed on the officers, if any, and shall exclude from the list any officer who is under suspension or against whom disciplinary/criminal proceedings are pending or whose integrity certificate has been withheld by the State Government or who has been subjected to any punishment other than "Censure" during the last five years or has been subjected to the penalty of "Censure" during the last three years;

Approval by Ministry of Home Affairs for officers on central deputation

9. If the Ministry of Home Affairs of Government of India, before preparation of the list or during the Empanelment Committee Meeting (ECM), informs the State Government in writing that it would not be possible to relieve officers on Central deputation for appointment to the post of Director General of Police, Uttar Pradesh (Head of the Police Force), the Empanelment Committee will not evaluate such officers.

Appointment of Director General of Police (Head of Police Force of Uttar Pradesh)

10. (1) The State Government shall appoint the Director General of Police, Uttar Pradesh (Head of the Police Force of Uttar Pradesh) from the list of officers recommended by the Nomination Committee. The Director General of Police, Uttar Pradesh (Head of the Police Force) so appointed shall ordinarily hold office for a minimum term of two years (As per the latest instructions of the Hon. Supreme Court) or till the age of superannuation of sixty years, whichever is earlier:

Provided that the State Government may relieve the Director General of Police, Uttar Pradesh (Head of the Police Force) so appointed from his duties before the completion of the period of two years, if-

(a) any proceedings have been initiated against him under the All India Services (Discipline and Appeal) Rules, 1969; or

(b) he has been convicted by a Court in a criminal case or charges have been framed against him by a Court in a case involving corruption; or

(c) he has become unable to discharge his duties as Director General of Police, Uttar Pradesh (Head of the Police Force) due to incapacity arising out of physical or mental illness;

(d) The Director General of Police, Uttar Pradesh (Head of the Police Force) may be removed from his office by the State Government if it is satisfied that he has failed to discharge his duties and responsibilities before the completion of his tenure of two years.

(2) If the Director General of Police, Uttar Pradesh (Head of the Police Force) is relieved of his duties under the proviso to sub-section (1) and until a new Director General of Police is appointed by the State Government, the State Government may give additional charge of the post of Director General of Police, Uttar Pradesh (Head of the Police Force) to any officer of the rank of Director General of Police in the State.

(3) If a departmental vigilance inquiry has been initiated against any officer included in the list before his appointment, he shall not be considered for appointment to the post of Director General of Police, Uttar Pradesh (Head of the Police Force).

Power to remove difficulty

11. If any difficulty arises in giving effect to the provision of these rules, the State Government may by a notified order, make such provisions, not in consistent with the provisions of these rules as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

By order,
DEEPAK KUMAR,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 326 राजपत्र–2024–(814)–599 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 35 सा0 गृह पुलिस–2024–(815)–1000 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)।